

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख
के साथ
03

6/1/2025

अभिप्रेत उपस्थापित।
अभिप्रेत के अवलोकन से स्पष्ट है कि
दिनांक 13/10/2022 को प्रथम पक्ष की ओर से
वाद को वापस लेने हेतु लिखित आवेदन
दालिम दिया गया है। इसके उपरान्त अलग
पक्ष लगातार अनुपस्थित है।
वाद को वापस लेने हेतु दालिम
किये जाने के उपरान्त वाद चलाने का कोई
होचल नहीं है।

अतः प्रथम पक्ष द्वारा दालिम आवेदन
के आधार पर वाद की बरिवाई समाप्त
की गयी है।

लौकिक/दालिम

मुक्ति सुधार उपस्थापित
के लो (केतु)

मुक्ति सुधार उपस्थापित
के लो (केतु)